**न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**
**(पीठासीन अधिकारी : दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)**

**अपील संख्या 2019/00114** **दायरा दिनांक : 25.06.2019**

**उनवान**

धापू बाई पुत्री रतनलाल पत्नी वीरमचन्द, जाति भील, निवासी देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

.... अपीलांट

**बनाम**

1. रतनलाल पुत्र मंगला, जाति भील, निवासी नर्सिंहपुरा, तहसील अकलेरा मृतक कायम मुकामान :–
   1/1. बहादुर सिंह पुत्र रतनलाल, जाति भील
   1/2. पूरीलाल पुत्र रतनलाल, जाति भील
   1/3. भगवान सिंह पुत्र रतनलाल, जाति भील
   1/4. रमेश चन्द पुत्र रतनलाल, जाति भील
   1/5. चन्दलाल पुत्र रतनलाल, जाति भील
   निवासीगण नर्सिंहपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड, राजस्थान
   1/6. सरवन पुत्र रतनलाल, जाति भील, निवासी नर्सिंहपुरा, तहसील अकलेरा मृतक कायम मुकामान :–
   1/6/1. भेरीबाई पुत्री सरवन पत्नी राकेश, जाति भील, निवासी बाकड, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
   1/6/2. संजू बाई पुत्री सरवन, आयु 20 वर्ष, जाति भील, निवासी बाकड, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
   1/6/3. गोनूराज पुत्र सरवन, आयु 18 वर्ष, जाति भील, निवासी बाकड, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
   1/6/4. अंगूर पुत्र सरवन, आयु 14 वर्ष, नाबालिग जर्ये बहिन भेरीबाई पुत्री सरवन पत्नी राकेश, जाति भील, निवासी बाकड, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
2. बद्रीबाई पुत्री रतनलाल पत्नी राधेश्याम, जाति भील, निवासी चोथ्याखेडी, तहसील असनावर, जिला झालावाड
3. रामसिंह पुत्र मंगला, जाति भील, निवासी बाडिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
4. कंचन बाई पत्नी रोडू पुत्री मंगला, जाति भील, निवासी चोथ्याखेडी, तहसील असनावर, जिला झालावाड
5. सीताराम पुत्र कंवरलाल, जाति भील, निवासी छबडिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
6. शोभाराम आयु 16 वर्ष नाबालिग पुत्र नमन सिंह जर्ये वलिया नेक्स्ट फ्रेन्ड संरक्षक माता भूलीबाई विधवा पत्नी नवल सिंह, जाति भील, निवासी ग्राम छबडिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
7. भूलीबाई विधवा पत्नी नवल सिंह, जाति भील, निवासी ग्राम छबडिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8. लाल चन्द पुत्र कालूलाल, जाति भील, निवासी अकलासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड
9. बसन्ती बाई पुत्री कालू, जाति भील, निवासी अकलासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड
10. मोहनी बाई पत्नी भगवान सिंह, जाति भील, निवासी नर्सिंहपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
11. चन्दालाल पुत्र रतनलाल, जाति भील, निवासी नर्सिंहपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
12. शाखा प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा अकलेरा, जिला झालावाड
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

**दायरा दिनांक : 24.06.2019**

**अपील संख्या 2019/00110**

**उनवान**

धापू बाई पुत्री रतनलाल पत्नी वीरमचन्द, जाति भील, निवासी देवरी चंचल, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड़ राजस्थान

.... अपीलांट

**बनाम**

1. रतनलाल पुत्र मंगला, जाति भील, निवासी नर्सिंहपुरा, तहसील अकलेरा मृतक काय.. मुकामान :–
   - 1/1. बहादुर सिंह पुत्र रतनलाल, जाति भील
   - 1/2. पूरीलाल पुत्र रतनलाल, जाति भील
   - 1/3. भगवान सिंह पुत्र रतनलाल, जाति भील
   - 1/4. रमेश चन्द पुत्र रतनलाल, जाति भील
   - 1/5. चन्दलाल पुत्र रतनलाल, जाति भील
     निवासीगण नर्सिंहपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड, राजस्थान
   - 1/6. सरवन पुत्र रतनलाल, जाति भील, निवासी नर्सिंहपुरा, तहसील अकलेरा मृतक कायम मुकामान :–
     - 1/6/1. भेरीबाई पुत्री सरवन पत्नी राकेश, जाति भील, निवासी बाकड, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
     - 1/6/2. संजू बाई पुत्री सरवन, आयु 20 वर्ष, जाति भील, निवासी बाकड, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
     - 1/6/3. गोनूराज पुत्र सरवन, आयु 18 वर्ष, जाति भील, निवासी बाकड, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
     - 1/6/4. अंगूर पुत्र सरवन, आयु 14 वर्ष, नाबालिग जर्ये बहिन भेरीबाई पुत्री सरवन पत्नी राकेश, जाति भील, निवासी बाकड, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां
2. बद्रीबाई पुत्री रतनलाल पत्नी राधेश्याम, जाति भील, निवासी चोथ्याखेडी, तहसील असनावर, जिला झालावाड
3. रामसिंह पुत्र मंगला, जाति भील, निवासी बाडिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

**(दीप्ति रामचन्द्र मीना)**
**भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन**
**राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा**

4. कंचन बाई पत्नी रोडू पुत्री मंगली, जाति भील, निवासी चोथ्याखेडी, तहसील असनावर, जिला झालावाड
5. सीताराम पुत्र कंवरलाल, जाति भील, निवासी छबडिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
6. शोभाराम आयु 16 वर्ष नाबालिग पुत्र नवल सिंह जर्ये वलिया नेक्स्ट फ्रेन्ड संरक्षक माता भूलीबाई विधवा पत्नी नवल सिंह, जाति भील, निवासी ग्राम छबडिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
7. भूलीबाई विधवा पत्नी नवल सिंह, जाति भील, निवासी ग्राम छबडिया, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
8. लाल चन्द पुत्र कालूलाल, जाति भील, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड
9. बसन्ती बाई पुत्री कालू, जाति भील, निवासी अकतासा, तहसील असनावर, जिला झालावाड
10. मोहनी बाई पत्नी भगवान सिंह, जाति भील, निवासी नर्सिंहपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
11. चन्दालाल पुत्र रतनलाल, जाति भील, निवासी नर्सिंहपुरा, तहसील अकलेरा, जिला झालावाड
12. शाखा प्रबन्धक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा अकलेरा, जिला झालावाड
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अकलेरा, जिला झालावाड

...... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री अरूण कुमार जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1/3, 4 व 10 की ओर से, शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

**निर्णय** **दिनांक : 28.03.2025**

1. ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 83/दावा/2013 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.04.2014 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 30.06.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।
3. दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 10 व 11 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम आमेठा, तहसील

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अकलेरा के माल में नंई खतौनी संख्या [illegible] की खसरा नम्बर 1685 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1686 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1689 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा कुल जुम्ला 3 किता की 21 बीघा 3 बिस्वा आराजी शामलाती खाते की स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.04.2014 से दावा प्राथमिक डिकी किया गया तथा फाइनल डिक्री दिनांक 30.06.2014 से मुताबिक विभाजन पत्र अंतिम डिकी जारी की गई, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

4. अपील संख्या 2019/00114 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के एक तरफा डिकी एवं निर्णय पत्रावली संग्रह सार एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्राथमिक डिकी एवं निर्णय अपने अधिकारों से परे जाकर गलत तौर पर पारित किया है जो हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम आमेठा, तहसील अकलेरा के माल की खाता संख्या 260 की 3 किता की 21 बीघा 3 बिस्वा आराजी स्थित है। उक्त आराजी में से अपीलांट धापूबाई ने खसरा नम्बर 1085 की 13 बीघा 10 बिस्वा आराजी में से लालचन्द, बसन्ती बाई का 1/11 हिस्सा दिनांक 10.01.2012 से 60,000/— रूपये में एवं बद्रीलाल का 1/11 हिस्सा दिनांक 12.06.2006 को 85,000/— रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। तत्पश्चात् उसके पिता रतनलाल पुत्र मंगला, जाति भील, निवासी नर्सिंहपुरा, तहसील अकलेरा का स्वर्गवास होने के कारण रतनलाल के पुत्रगणों को 1/1 से 1/5 एवं रतनलाल के पुत्र श्रवण का भी स्वर्गवास होने के कारण उसके पुत्र एवं पुत्रगणों को 1/6/1 से 1/6/4 तथा रतनलाल की पुत्री बद्रीबाई को रेस्पोडेंट नम्बर 2 एवं अपीलांट वादिनी धापूबाई को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। इस कारण से मृतक रतनलाल की आराजी में अपीलांट धापू बाई का 1/16 + उसके द्वारा खरीदशुदा जमीन का 2/11 हिस्सा बनता है, जो कुल मिलाकर 3/27 यानि की 1/9 के लगभग बनता है जो कि अपीलांट/वादिनी धापू बाई प्राप्त करने की अधिकारिणी है इस तथ्य पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं करके कानूनी भूल की है, जो कि हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिकी एवं निर्णय को निरस्त फरमाया जाकर उक्त प्रकरण को कानूनी रूप से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) फरमायी जावे।

5. अपील संख्या 2019/00110 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के फाईनल डिकी एवं आदेश पत्रावली संग्रह सार एवं विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा फाईनल डिकी एवं आदेश अपने अधिकारों से परे जाकर अपीलांट को कम आराजी दी है इस कारण से उक्त आदेश एवं फाईनल डिकी निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पेपर पार्टीशन करते समय विवादग्रस्त आराजी के समस्त पक्षकारों को नोटिस देकर तलब

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

करना चाहिए था और समस्त पक्षकारों की मौजूदगी में तहसीलदार को मौके पर पेपरपार्टीशन रिपोर्ट तैयार करना चाहिए था जो कि उक्त प्रकरण में नहीं की गई है तथा समस्त पक्षकारान की आराजी बाबत पेपर पार्टीशन बाबत एवं तत्पश्चात फाईनल डिक्री में भी कोई हवाला प्रत्येक पक्षकार की आराजी बाबत नहीं दिया गया है। इस कारण से उक्त पेपर पार्टीशन रिपोर्ट के आधार पर जो फाईनल डिक्री विधि विरूद्ध तैयार की गई है वह कानूनन हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है। विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि पेपर पार्टीशन करते वक्त पक्षकारों एवं तहसीलदार की मौजूदगी में राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए एवं पक्षकारों की मौजूदगी में आराजी का उसके अनुसार विधिवत रूप से विभाजन करना चाहिए था जो कि इस प्रकरण में नहीं किया गया है, इस कारण से उक्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई फाईनल डिक्री हर तरह से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित फाईनल डिक्री एवं आदेश को निरस्त फरमाया जाकर उक्त प्रकरण को कानूनी रूप से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) फरमायी जावे।

6. दोनों अपीलों के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 13.06.2019 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।
7. दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।
8. अपील के साथ अपीलांट धापूबाई ने एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. एवं धारा 151 जाप्ता दीवानी का वास्ते संशोधन हेतु पेश किया।
9. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया और दौराने बहस कथन किया कि आदेश 6 नियम 17 सी. पी. सी. का प्रार्थना पत्र को रजिस्ट्री के आधार पर स्वीकार कर वाद में संशोधन करें। अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2014–2015 (सप्ली.) पेज 715, आर.आर.डी. 2019 पेज 206, आर.आर.डी. 2019 पेज 663 की नजीरे उद्धरत की।
10. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट की बहस से हम सहमत हैं । अतः प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जावे।
11. अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

12. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

13. दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांट व रेस्पोडेंट नम्बर 10 व 11 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् पेश कर यह कथन किया कि ग्राम आमेठा, तहसील अकलेरा के माल में नई खतौनी संख्या 260 की खसरा नम्बर 1685 रकबा 13 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 1686 रकबा 2 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 1689 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा कुल जुम्ला 3 किता की 21 बीघा 3 बिस्वा आराजी शामलाती खाते की स्थित है। शामलाती खाते की आराजी का विभाजन कर वादीगण के पृथक खाते दर्ज की जावे तथा वादीगण को उनके हिस्से अनुसार आराजी को नाप कर कब्जा संभलाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.04.2014 से दावा प्राथमिक डिक्री किया गया तथा मुताबिक विभाजन पत्र अंतिम डिक्री दिनांक 30.06.2014 से जारी की गई।

14. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि दावा प्राथमिक डिक्री किये जाने योग्य होने से प्राथमिक डिक्री किया जाकर आदेश है कि ग्राम आमेठा तहसील अकलेरा माल की खाता संख्या 260 की 3 किता की 21.03 बीघा आराजी में से वादनी नं. 1 धापूबाई का खसरा नम्बर 1685 की 13.10 बीघा आराजी में हिस्सा (1/11 सहखातेदारी का तथा 1/11 खरीदा हुवा कुल 2/11 भाग) अन्य भूमि में 1/11 भाग तथा वादनी नं. 2 कि हिस्से की 1/22 एव क्रय की गयी भूमि खसरा नं.1685 की 10.08 बीघा, खसरा नं. 1686 की 1.11 बीघा व खसरा नं. 1689 की 5.07 बीघा आराजी में से कंचनबाई से खरीदी गयी 1/9 तथा वादिनी नं. 3 के हिस्से की 1/22 भाग एवं प्रतिवादीगण नं. 5 व 6 के हिस्से की 1/11 भाग आराजी पृथक पृथक खाते दर्ज करने हेतु तहसीलदार अकलेरा राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के अनुसार आराजी का विभाजन पत्र तैयार कर पेश करे।

15. तत्पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.06.2014 से फाइनल डिक्री जारी करते हुए निर्णय दिया कि ग्राम आमेठा तहसील अकलेरा के माल की खाता संख्या 260 की 3 किता की 21.03 बीघा आराजी में से वादनी नं. 1 धापूबाई का खसरा नं. 1685 की 13.10 बीघा आराजी में हिस्सा (1/11 सहखातेदारी का तथा 1/11 खरीदा हुवा कुल 2/11) अन्य भूमि में 1/11 भाग तथा वादनी नं. 2 मोहनीबाई के हिस्से की 1/22 भाग तथा क्रय की गयी खसरा नं. 1685 की 10.08 बीघा, 1686 की 1.11 बीघा व 1689 की 5.07 बीघा में से कंचनबाई से खरीदी गयी 1/9 भाग तथा वादनी नं. 3 के हिस्से की 1/22 भाग एवं प्रतिवादी 5 व 6 के हिस्से की 1/11 भाग आराजी पृथक पृथक खाते दर्ज कर कब्जा दिये जाने के आदेश पारित करते हुए अंतिम डिक्री जारी की गयी।

16. ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अकलेरा के प्रकरण संख्या – 83/दावा/2013 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.04.2014 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 30.06.2014 से अप्रसन्न होकर इस

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय में अपील पेश कर अनुतोष चाहा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री को निरस्त कराया जाकर उक्त प्रकरण को कानूनी रूप से निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित परिमाण्डित कराया जावे।

17. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत 2066–69 ग्राम आमेठा तहसील अकलेरा जिला झालावाड में खाता संख्या 280 में खसरा नम्बर 1685 रकबा 13.10 बीघा, खसरा नं. 1686 रकबा 2.06 बीघा, खसरा नं. 1689 रकबा 5.07 बीघा कुल किता 3 रकबा 21.03 बीघा भूमि में रतनलाल का हिस्सा (1/11 सहखातेदारी का तथा 1/11 नामान्तरण संख्या 1555 दिनांक 05.10.2012 हकत्याग से प्राप्त हुआ कुल 2/11) एवं वादनी धापूबाई का हिस्सा (1/11 सहखातेदारी का तथा 1/11 खरीदा हुआ, नामान्तरण संख्या 1528 दिनांक 20.04.2012 कुल 2/11) दर्ज रिकार्ड है।

18. अपीलांट द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2070–73 खाता संख्या 285 खसरा नं. 1685 रकबा 10.08 बीघा, खसरा नं. 1686 रकबा 1.11 बीघा, खसरा नं. 1689 रकबा 5.07 बीघा कुल किता 3 रकबा 17.06 बीघा में वादनी धापूबाई पत्नी बीरमचन्द का हिस्सा 2/9 एवं वादनी के पिता रतनलाल का हिस्सा 2/9 दर्ज रिकार्ड है। नामान्तरण संख्या 1619 निष्पादन दिनांक 05.11.2014 विरासत से मृतक रतनलाल के स्थान पर बहादुर, सरवन, भगवानसिंह, पुरीलाल, रमेश, चन्दालाल पिता रतनलाल बद्रीबाई, धापूबाई पुत्रियां रतनलाल के नाम 2/9 हिस्सा समभाग दर्ज रिकार्ड है। नामान्तरण संख्या 1634 निष्पादन दिनांक 13.11.2014 न्यायालय आदेश (अंतिम डिक्री) से खसरा नं. 1685 रकबा 2.09 बीघा व खसरा नं. 1686 रकबा 0.14 बीघा किता 2 कुल रकबा 03.03 बीघा धापूबाई पत्नी बीरम चन्द के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ।

19. इस प्रकार उपरोक्त प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड नकल जमाबंदी व नामान्तरण के अनुसार वादनी का स्वयं का हिस्सा 2/9 के अनुसार लगभग 3.17 बीघा व वादनी के पिता के खाते से विरासत से प्राप्त 0.09 बीघा कुल 4.06 बीघा भूमि बनती है जिसके मुकाबले में निर्णय एवं अंतिम डिक्री में वादनी को 03.03 बीघा भूमि दर्ज हुई है जो कि नकल जमाबंदी संवत 2070–73 के अनुसार 4.06 बीघा आराजी होनी चाहिए। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री जो जारी की गयी वो त्रुटिपूर्ण है।

20. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2066–2069 व 2070–2073 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है। इसी प्रकार इस त्रुटिपूर्ण प्राथमिक डिक्री की पालना में तैयार बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर पारित निर्णय व अंतिम डिक्री भी स्वतः ही त्रुटिपूर्ण होने के कारण खारिज होने योग्य है।

21. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2019/00114 एवं 2019/00110 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.04.2014 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 30.06.2014 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को न्यायहित में पुनः

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए धारा संख्या 17 से 20 में किये गये विवेचन के आधार पर पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड की जांच कर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 26.05.2025 को उपस्थित होवे।

22. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/03/2025

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा